रजिस्टर्ड नं० ए० डी० - 4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 30 अक्तूबर, 1974

कार्तिक 8, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4070/सत्रह वि0-1-66-74

लखनऊ, 30 अक्टूबर, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974 पर दिनांक 28 अक्तूबर, 1974 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1974)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषा

2—इस अधिनियम में, "समाचार-पत्र" का तात्पर्य किसी ऐसी नियतकालिक मुद्रित कृति से है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार पर टीका-टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हों ।

विधान मण्डल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन का विशेषाधिकृत होना

3—(1) उपधारा (2) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी सदन की किन्हीं भी कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन अथवा किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन के हेतु, किसी समाचार एजेन्सी द्वारा सामग्री के प्रदान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में, किन्हीं सिविल अथवा दाण्डिक कार्यवाहियों के लिये, तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि प्रकाशन विद्वेष से किया गया साबित न हो जाय ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करती है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिये नहीं है ।

विधान मण्डल की कार्यवाहियों के बेतार टेलीग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी अधिनियम का लागू होना

4—यह अधिनियम किसी प्रसारण स्टेशन द्वारा व्यवस्थित किसी कार्यक्रम अथवा सेवा के भाग के रूप में बेतार टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के सम्बन्ध में लागू होता है ।

विचाराधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लागू होना

5—यह अधिनियम उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि पर किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन हों ।

No. 4070 (2) /XVII-V-1—66-74

Dated Lucknow, October 30, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Ki Karyawahiyan (Prakashan ka Sanrakshan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 28, 1974.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION) ACT, 1974

(U. P. Act No. 32 of 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to protect the publication of reports of proceedings of the Uttar Pradesh State Legislature

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Proceedings (Protection of Publication) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definition.

2. In this Act, "newspaper" means any printed periodical work containing public news or comments on public news.

Publication of reports of Legislature Proceeding privileged.

3. (1) Save as otherwise provided in sub-section (2), no person shall be liable to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of the publication in a newspaper or in respect of the supply by a news agency for publication in a newspaper of a substantially true report of any proceedings of either House of the Uttar Pradesh State Legislature, unless the publication is proved to have been made with malice.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be construed as protecting the publication of any matter, the publication of which is not for the public good.

Act also to apply to Legislature Proceedings, broadcast by wireless telegraphy.

4. This Act shall apply in relation to reports or matters broadcast by means of wireless telegraphy as part of any programme or service provided by means of a broadcasting station as it applies in relation to reports or matters published in a newspaper.

Application to pending Proceeding.

5. This Act shall also apply in relation to any proceeding pending in any civil or criminal court on the date of commencement of this Act.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 223 सा० (विधायिका)—1974—500 (मे०) ।